



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट-थाना हल्दौर

दिनांक 18.03.2025

**थाना हल्दौर पुलिस टीम द्वारा बाल अपचारी अभियुक्त को अवैध शस्त्र सहित
पुलिस निगरानी में लिया गया ।**

संक्षिप्त विवरण-

थाना हल्दौर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान एक बाल अपचारी को एक अवैध तमंचा 315 बोर व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित निगरानी में लिया गया । इस सम्बन्ध में थाना हल्दौर पर मु0अ0सं0-060/2025 धारा 9(1)A(1)/25(2) आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया । आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है ।

बाल अपचारी का विवरण

एक बाल अपचारी

बरामदगी का विवरण-

एक अवैध तमंचा 315 बोर व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर

पुलिस टीम का विवरण-

1. उ0नि0 सुभाष कुमार राणा थाना हल्दौर जनपद बिजनौर ।
2. हे0का0 674 अकरम थाना हल्दौर जनपद बिजनौर ।
3. का0 773 शुभम राठी थाना हल्दौर जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना मंडावर

दिनांक 18.03.2025

थाना मंडावर पुलिस ने मु0अ0सं0 19/25 धारा 137(2) बीएनएस में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 02.02.25 को वादिया ने थाना मंडावर जनपद बिजनौर पर तहरीर पर दी कि अज्ञात अभियुक्त वादिया की पुत्री को बहला - फुसलाकर अपने साथ ले गया । इस संबंध में थाना मंडावर पर मु0अ0सं0 19/25 धारा 137(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया । विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में इम्तियाज अंसारी उर्फ सोनू पुत्र सरताज निवासी ग्राम टोडा थाना नगीना जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश में आया । स्थानीय पुलिस द्वारा अपहर्ता को बरामद किया गया ।



कार्यवाही:-

थाना मंडावर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त इम्तियाज अंसारी उर्फ सोनू पुत्र सरताज निवासी ग्राम टोडा थाना नगीना जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

इम्तियाज अंसारी उर्फ सोनू पुत्र सरताज निवासी ग्राम टोडा थाना नगीना जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

- 1.उ0नि0 श्री मीर हसन थाना मंडावर जनपद बिजनौर ।
- 2.का0 1037 अंकुर वर्मा थाना मंडावर जनपद बिजनौर ।
- 3.का0 1412 राहुल चौहान थाना मंडावर जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नांगल

दिनांक – 18.03.2025

नांगल पुलिस ने मु0अ0सं0 07/25 धारा 191(2),191(3),190,109,115(2),352,351(2) बीएनएस व 3(2)5 एससी / एसटी एक्ट व 3/25 शस्त्र अधि0 में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 12.01.2025 को वादी श्री अश्वनी कुमार पुत्र रमेश निवासी ग्राम बूढपुर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर द्वारा थाना नांगल पर तहरीर दी गयी कि नीरज उर्फ कल्लू पुत्र मामराज निवासी ग्राम महमसापुर थाना नांगल जनपद बिजनौर ने अपने 10-12 अज्ञात साथियों के साथ मिलकर एक राय होकर वादी के साथ लाठी डंडो से मारपीट व गाली-गालौच की गयी तथा जान से मारने की धमकी दी एवं अभियुक्त कल्लू द्वारा जान से मारने की नियत से फायर किया गया । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नांगल पर मु0अ0सं0 07/25 धारा 191(2),191(3),190,109,115(2),352,351(2) बीएनएस व 3(2)5 एससी / एसटी एक्ट बनाम कल्लू आदि पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही –

आज दिनांक 18.03.2025 थाना नांगल पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त नीरज उर्फ कल्लू निवासी ग्राम महमसापुर थाना नांगल जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त एक तमंचा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किये गये । अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

नीरज उर्फ कल्लू पुत्र मामराज निवासी ग्राम महमसापुर थाना नांगल जनपद बिजनौर

बरामदगी –

01 तमंचा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 श्री उपेन्द्र सिंह थाना नांगल जनपद बिजनौर
- 2.हे0कां0 762 प्रवीण चौहान थाना नांगल जनपद बिजनौर
- 3.कां0 156 रोहित कुमार थाना नांगल जनपद बिजनौर
- 4.कां0 1878 अंकित कुमार थाना नांगल जनपद बिजनौर